मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (माघ 29, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री जार्ज फर्नान्डीज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(2) श्री भानुप्रकाश सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(4) श्री घनश्याम पाटीदार, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री मोहन सिंह बुंदेला, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री कृष्णवल्लभ गुप्ता, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, तथा
(8) जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर आतंकी हमले में शहीद जवान.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार –

(i) जिला खनिज प्रतिष्ठान झाबुआ, अलीराजपुर, सागर, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, नीमच, पन्ना, छिन्दवाड़ा, दमोह, शहडोल एवं धार के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान रीवा एवं अलीराजपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधार (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा.7, दिनांक 28 जनवरी 2019 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2017-2018 के अंकेक्षित लेखे,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 1030-म.प्र.वि.नि.आ-2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 एवं

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1052-म.प्र.वि.नि.आ.-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018, तथा

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,
पटल पर रखेंगे.

(7) श्री हर्ष यादव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 63 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर नगर निगम के कतिपय वार्डों में तिघरा जलाशय से पेयजल आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संजय यादव (सिवनी टोला), सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी क्षेत्र के पठारी एवं आदिवासी ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा.

7. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2019-2020 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

9. वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

10. वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

11. वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन करेंगे.

12. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 फरवरी, 2019